।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 07.10.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक **दिनांक 07.10.2025** को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न से अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री रूपिन्दर सिंघ, अति. महानिदेशक पुलिस, कारागार, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री एल.आर. मीणा, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
5. श्री सत्यपाल जांगिड़, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर के निर्णय की पालना में 11 बंदियों के प्रकरण बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने पर इन प्रकरणों में से 09 प्रकरण को समिति द्वारा प्रवंदित किया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
चांद उर्फ चांद मिया पुत्र सरताज	के.का.कोटा	97/2025	23.09.2025	26.09.2025
राहुल कुमार पुत्र लालाराम	वि.के.का. श्यालावास	1635/2023	15.09.2025	19.09.2025
समरजीत उर्फ सुरजीत पुत्र प्रेमपाल	के.का.अलवर	2146/2024	11.09.2025	17.09.2025
जगदीश उर्फ गब्बा पुत्र प्यारेलाल	के.का.कोटा	237/2025	19.09.2025	25.09.2025
सोहनलाल उर्फ वक्ता	के.का.उदयपुर	2210/2025	09.09.2025	15.09.2025

पुत्र वज्जा मईडा				
टीपू उर्फ टीपू सुल्तान उर्फ आबिद अली पुत्र अकील मोहम्मद	के.का.कोटा	292/2025	19.09.2025	25.09.2025
शौकित उर्फ तूफान उर्फ बंजारा पुत्र गुलमा उर्फ बालकनाथ	के.का.कोटा	236/2025	16.09.2025	18.09.2025
जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र दाउदयाल शर्मा	के.क.भरतपुर	2221/2024	15.09.2025	19.09.2025
पप्पू मदारी उर्फ पप्पू उर्फ सरताज पुत्र बसीर खां उर्फ रामकिशन	के.का.कोटा	95/2025	18.09.2025	24.09.2025

स्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी चांद उर्फ चांद मिया पुत्र सरताज, केन्द्रीय कारागृह, कोटा :-

बंदी को अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, क्रम संख्या 03 कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 60/2014 अंतर्गत धारा 302/149,460,395,396,397,147,148, 325/149,323/149 आई.पी.सी. में दिनांक 05.09.2016 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 14.10.2024 को बंदी खुला शिविर की बैठक में विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी के 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित होने एवं प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित होने पर समिति द्वारा बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 97/2025 चांद बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 23.09.2025 से प्रतिपादित है कि '' **परिणामतः याची की याचिका स्वीकार की जाती है तथा आलौच्य आदेश दिनांकित 14.10.2024 याची/बंदी की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा याची/बंदी को नियमानुसार विशेष केन्द्रीय कारागार श्यालावास जिला दौसा से खुला बंदी शिविर में प्रेषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की एक प्रति सम्बन्धित अधीक्षक केन्द्रीय कारागार को पालनार्थ अविलम्ब प्रेषित की जावे। तदनुसार याचिका एवं विविध प्रार्थना-पत्र यदि लम्बित हो, का निस्तारण किया जाता है।** '' के निर्देश दिये गये।

उक्त क्रम में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में 14 वर्ष 03 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना तथा उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972

में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी चांद उर्फ चांद मिया पुत्र सरताज तुफान पुत्र नानूराम** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. दण्डित बंदी राहुल कुमार पुत्र लालाराम, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास :-

बंदी को अपर सैशन न्यायाधीश, (विशिष्ट न्यायालय) सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 79/2018(73/2015) अंतर्गत धारा 302/120बी,34 आई.पी.सी. 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 22.11.2019 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 14.10.2024 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी के विरूद्ध मूल प्रकरण के अतिरिक्त 05 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन एवं अन्य राज्य का मूल निवासी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के उपनियम 3(ञ) के तहत अपात्र होने पर समिति द्वारा बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1635/2023 राहुल बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 15.09.2025 से प्रतिपादित है कि '' **परिणामतः याची की याचिका स्वीकार की जाती है तथा आलौच्य आदेश दिनांकित 14.10.2024 याची/ बंदी की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा याची/ बंदी को नियमानुसार केन्द्रीय कारागार कोटा से खुला बंदी शिविर में प्रेषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की एक प्रति सम्बन्धित अधीक्षक केन्द्रीय कारागार को पालनार्थ अविलम्ब प्रेषित की जावे। तदनुसार याचिका एवं विविध प्रार्थना-पत्र यदि लम्बित हो, का निस्तारण किया जाता है।** '' के निर्देश दिये गये।

उक्त क्रम में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में 10 वर्ष 06 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना तथा उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी राहुल कुमार पुत्र लालाराम** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

3. दण्डित बंदी समरजीत उर्फ सुरजीत पुत्र प्रेमपाल, केन्द्रीय कारागृह, अलवर:-

बंदी को अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या 02 अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2018 अंतर्गत धारा 302,201,120बी आई.पी.सी. में दिनांक 01.12.2021 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 14.10.2024 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी को 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित, अन्य राज्य का मूल

निवासी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के उपनियम 3(ञ) के तहत अपात्र एवं अविवाहित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के उपनियम 3(ड) के तहत अपात्र होने पर समिति द्वारा बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2146/2024 समरजीत बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 11.09.2025 से प्रतिपादित है कि ''परिणामतः याची की याचिका स्वीकार की जाती है तथा आलौच्य आदेश दिनांकित 14.10.2024 याची/ बंदी की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा याची/ बंदी को नियमानुसार केन्द्रीय कारागार अलवर से खुला बंदी शिविर में प्रेषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की एक प्रति सम्बन्धित अधीक्षक केन्द्रीय कारागार को पालनार्थ अविलम्ब प्रेषित की जावे। तदनुसार याचिका एवं विविध प्रार्थना-पत्र यदि लम्बित हो, का निस्तारण किया जाता है।'' के निर्देश दिये गये।

उक्त क्रम में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में 08 वर्ष 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना तथा उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी समरजीत उर्फ सुरजीत पुत्र प्रेमपाल** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

4. दण्डित बंदी जगदीश उर्फ गब्बा पुत्र प्यारेलाल, केन्द्रीय कारागृह, कोटाः-

बंदी को अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, अकलेरा, जिला झालावाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 27/2018 अंतर्गत धारा 148,323/149,302/149,460 आई.पी.सी. में दिनांक 02.03.2020 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 14.10.2024 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी को 02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित किये जाने पर समिति द्वारा बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 237/2025 जगदीश बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 19.09.2025 से प्रतिपादित है कि ''परिणामतः याची की याचिका स्वीकार की जाती है तथा आलौच्य आदेश दिनांकित 14.10.2024 याची/ बंदी की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा याची/बंदी को नियमानुसार विशेष केन्द्रीय कारागृह कोटा से खुला बंदी शिविर में प्रेषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की एक प्रति सम्बन्धित अधीक्षक केन्द्रीय कारागार को पालनार्थ अविलम्ब प्रेषित की जावे। तदनुसार

याचिका एवं विविध प्रार्थना-पत्र यदि लम्बित हो, का निस्तारण किया जाता है।'' के निर्देश दिये गये।

उक्त क्रम में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में 08 वर्ष 11 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना तथा उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी जगदीश उर्फ गब्बा पुत्र प्यारेलाल** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

5. दण्डित बंदी सोहनलाल उर्फ वक्ता पुत्र बज्जा मईडा, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुरः-

बंदी को अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, क्रम संख्या 03 चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 19/2013 अंतर्गत धारा 302,450,201,404 आई.पी.सी. में दिनांक 03.12.2013 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 14.10.2024 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी दिनांक 18.10.2016 से 27.10.2016 तक पैरोल से फरारशुदा होने पर समिति द्वारा बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 14.10.2024 को आयोजित बैठक में विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी दिनांक 18.10.2016 से 27.10.2016 तक पैरोल से फरारशुदा होने पर गत दो वर्षो में आचरण/जेल सेवा में चाल-चलन कैसा रहा, की टिप्पणी संबंधित जेल अधीक्षक से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

तत्पश्चात बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2210/2025 सोहनलाल बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 09.09.2025 से प्रतिपादित है कि '' Learned counsel for the petitioner wants to withdraw the present writ petition and prays that a direction may be issued to the respondent No.2 – The Director General, Jail, Jaipur that he shall consider the application filed by the petitioner within a period of one month upon receiving the certified copy of this order.Accordingly, the present criminal writ petition is here by dismissed as withdrawn. However, the petitioner shall be at liberty to file a fresh writ petition, if any, occasion arises.'' के निर्देश दिये गये।

उक्त क्रम में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में 15 वर्ष 01 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना तथा उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972

में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी सोहनलाल उर्फ वक्ता पुत्र वज्जा मईडा** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

6. दण्डित बंदी टीपू उर्फ टीपू सुल्तान उर्फ आबिद अली पुत्र अकील मोहम्मद, केन्द्रीय कारागृह, कोटा:-

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. (पी.ओ.ए.) प्रकरण, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 87593/2014 अंतर्गत धारा 302/34,397,460 आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 07.11.2017 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 14.10.2024 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी के विरूद्ध 02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर) होने पर समिति द्वारा बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 292/2025 टीपू बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 19.09.2025 से प्रतिपादित है कि ''परिणामत: याची की याचिका स्वीकार की जाती है तथा आलौच्य आदेश दिनांकित 14.10.2024 याची/ बंदी की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा याची/ बंदी को नियमानुसार केन्द्रीय कारागृह, कोटा से खुला बंदी शिविर में प्रेषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की एक प्रति सम्बन्धित अधीक्षक केन्द्रीय कारागार को पालनार्थ अविलम्ब प्रेषित की जावे। तदनुसार याचिका एवं विविध प्रार्थना-पत्र यदि लम्बित हो, का निस्तारण किया जाता है।'' के निर्देश दिये गये।

उक्त क्रम में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में 13 वर्ष 01 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

अत: माननीय न्यायालय के आदेश की पालना तथा उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी टीपू उर्फ टीपू सुल्तान उर्फ आबिद अली पुत्र अकील मोहम्मद** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

7. दण्डित बंदी शौकित उर्फ तूफान उर्फ बंजारा पुत्र गुलमा उर्फ बालकनाथ, केन्द्रीय कारागृह, कोटा:-

बंदी को अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, क्रम संख्या 03 कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 60/2014 अंतर्गत धारा 302/149,460,395,396,397,147, 148,325/149,323/149 आई.पी.सी. में दिनांक 05.09.2016 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 14.10.2024 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी के विरूद्ध 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित होने पर समिति द्वारा बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 236/2025 शौकित बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 16.09.2025 से प्रतिपादित है कि ''परिणामतः याची की याचिका स्वीकार की जाती है तथा आलौच्य आदेश दिनांकित 14.10.2024 याची/ बंदी की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा याची/ बंदी को नियमानुसार केन्द्रीय कारागार कोटा से खुला बंदी शिविर में प्रेषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की एक प्रति सम्बन्धित अयाचीगण/ जेल अधिकारीगण को पालनार्थ अविलम्ब प्रेषित की जावे। तदनुसार याचिका एवं विविध प्रार्थना-पत्र यदि लम्बित हो, का निस्तारण किया जाता है।'' के निर्देश दिये गये।

उक्त क्रम में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में 13 वर्ष 09 माह 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना तथा उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी शौकित उर्फ तूफान उर्फ बंजारा पुत्र गुलमा उर्फ बालकनाथ** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

8. दण्डित बंदी जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र दाउदयाल शर्मा, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावासः-

बंदी को स्पेशल न्यायाधीश डकैती प्रभावित क्षेत्र, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 34/2016 अंतर्गत धारा 392,302/34 आई.पी.सी., 42 कारागार अधिनियम में दिनांक 04.12.2020 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 14.10.2024 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी के विरूद्ध 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं प्रतिबंधित धारा 392 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित तथा 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर) होने पर समिति द्वारा बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2221/2024 जितेन्द्र बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 15.09.2025 से प्रतिपादित है कि '' परिणामतः याची की याचिका स्वीकार की जाती है तथा आलौच्य आदेश दिनांकित

14.10.2024 याची/ बंदी की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा याची/ बंदी को नियमानुसार विशेष केन्द्रीय कारागार श्यामावास जिला दौसा से खुला बंदी शिविर में प्रेषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की एक प्रति सम्बन्धित अधीक्षक केन्द्रीय कारागार को पालनार्थ अविलम्ब प्रेषित की जावे। तदनुसार याचिका एवं विविध प्रार्थना-पत्र यदि लम्बित हो, का निस्तारण किया जाता है। '' के निर्देश दिये गये।

उक्त क्रम में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में 08 वर्ष 10 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना तथा उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र दाउदयाल शर्मा** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

9. दण्डित बंदी पप्पू मदारी उर्फ पप्पू उर्फ सरताज पुत्र बसीर खां उर्फ रामकिशन, केन्द्रीय कारागृह, कोटाः-

बंदी को अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, क्रम संख्या 03 कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 60/2014 अंतर्गत धारा 302/149,460,395,396,397, 147,148,325/149,323/149 आई.पी.सी. में दिनांक 05.09.2016 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 14.10.2024 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी के विरूद्ध 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित होने पर समिति द्वारा बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 95/2024 पप्पू बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 18.09.2025 से प्रतिपादित है कि '' परिणामतः याची की याचिका स्वीकार की जाती है तथा आलौच्य आदेश दिनांकित 14.10.2024 याची/ बंदी की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा याची/ बंदी को नियमानुसार केन्द्रीय कारागार कोटा से खुला बंदी शिविर में प्रेषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की एक प्रति सम्बन्धित अयाचीगण/ जेल अधिकारीगण को पालनार्थ अविलम्ब प्रेषित की जावे। तदनुसार याचिका एवं विविध प्रार्थना-पत्र यदि लम्बित हो, का निस्तारण किया जाता है।'' के निर्देश दिये गये।

उक्त क्रम में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में 13 वर्ष 10 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना तथा उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी पप्पू मदारी उर्फ पप्पू उर्फ सरताज**

पुत्र बसीर खां उर्फ रामकिशन को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**	सदस्य
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	प्र. परी. अधिकारी SJED

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 07.10.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 07.10.2025 को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न से अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री रूपिन्दर सिंघ, अति. महानिदेशक पुलिस, कारागार, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री एल.आर. मीणा, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
5. श्री सत्यपाल जांगिड़, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर के निर्णय की पालना में 11 बंदियों के प्रकरण बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने पर इन प्रकरणों में से 01 प्रकरण को समिति द्वारा अस्वीकृत किया गया। जिनका विवरण निम्न से है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
रफीक उर्फ बकरी चोर पुत्र हाफीज खान	के.का.जयपुर	302/2025	19.09.2025	25.09.2025

अस्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी रफीक उर्फ बकरी चोर पुत्र हाफीज खान, केन्द्रीय कारागृह जयपुरः-

बंदी को अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 04 जयपुर जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 15/2018 अंतर्गत धारा 302,397,323,341 आई.पी.सी. में दिनांक 04.11.2022 को आजीवन कारावास एवं ए.सी.जे. व एम.एम. संख्या 11 जयपुर महानगर प्रथम द्वारा प्रकरण संख्या 79/2023 अंतर्गत धारा 323,341,324 आई.पी.सी. में दिनांक 14.12.2023 को 01 वर्ष साधारण कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2025 तक 15 वर्ष 10 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 14.10.2024 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी के विरूद्ध 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन है, की धारा स्पष्ट होने पर समिति द्वारा बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अग्रेषित किया गया।

तत्पश्चात बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 302/2025 रफीक बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 19.09.2025 से निर्णय प्रतिपादित किया कि " परिणामतः याची की याचिका स्वीकार की जाती है तथा आलौच्य आदेश दिनांकित 14.10.2024 याची/बंदी की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा याची/बंदी को नियमानुसार केन्द्रीय कारागार जयपुर से खुला बंदी शिविर में प्रेषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की एक प्रति सम्बन्धित अयाचीगण/जेल अधिकारीगण को पालनार्थ अविलम्ब पेषित की जावे। तदनसार याचिका एवं विविध प्रार्थना-पत्र यदि लम्बित हो, का निस्तारण किया जाता है।"

उक्त क्रम में बंदी के प्रकरण पर विचार करने के दौरान पाया गया कि वर्तमान में बंदी केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में निरूद्ध है। बंदी रफीक कारागृह में निरूद्धीकरण के दौरान अन्य 04 बंदियों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचकर डॉक्टर से फर्जी तरीके से रेफर का पर्चा बनवाकर दिनांक 24.05.2025 को सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर से पुलिस चालानी गार्ड के साथ मिलीभगत कर होटल सिद्धार्थ में महिला के साथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा प्रकरण में एफ.आई.आर. संख्या 76/2025 पुलिस थाना सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया, जो विचाराधीन है। बंदी द्वारा किया गया यह कृत्य कदाचार की श्रेणी में आता है। जबकि राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(छ) के तहत गत 02 वर्ष में बंदी का आचरण संतोषप्रद होना आवश्यक है। उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में बंदी के विरूद्ध 03 अन्य प्रकरण विचाराधीन है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में आयोजित समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर गुण-अवगुण के आधार पर विचार किया

गया और समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यदि बंदी को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाला जाता है तो बंदी के बंदी खुला शिविर से फरार होने तथा समाज में अवांछनीय घटना कारित करने की पूर्ण संभावना रह सकती है। अत: **दण्डित बंदी रफीक उर्फ बकरी चोर पुत्र हाफीज खान** को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया जाकर प्रकरण में माननीय न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील करने हेतु राज्य सरकार को लिखे जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर।	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर।

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 07.10.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 07.10.2025 को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न से अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री रूपिन्दर सिंघ, अति. महानिदेशक पुलिस, कारागार, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री एल.आर. मीणा, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
5. श्री सत्यपाल जांगिड, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर के निर्णय की पालना में 11 बंदियों के प्रकरण बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने पर इन प्रकरणों में से 01 प्रकरण को समिति द्वारा अग्रेषित किया गया। जिनका विवरण निम्न से है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
तरूण उर्फ तेजमल पुत्र रामलाल	के.का.कोटा	1169/2025	01.09.2025	16.09.2025

अग्रेषित प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी तरूण उर्फ तेजमल पुत्र रामलाल, केन्द्रीय कारागृह कोटा:-

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 47/2012 अंतर्गत धारा 147,148,341,302/149 आई.पी.सी. में दिनांक 11.08.2018 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी

द्वारा दिनांक 16.09.2025 तक 06 वर्ष 09 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1169/2025 तरूण बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 01.09.2025 से निर्णय प्रतिपादित किया कि ,, प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता याची द्वारा चाही गई प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए संबंधित सक्षम अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक माह की अवधि में, याची-बंदी द्वारा खुला शिविर में स्थानांतरण करने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 30.07.2025 पर संबंधित नियमों के तहत विचार कर प्रार्थना पत्र को निस्तारित करें एवं प्रार्थना पत्र के निस्तारण की सूचना से बंदी को अवगत कराया जाए। उक्त आदेश की प्रति योग्य लोक अभियोजक को सक्षम अधिकारी को भेजे जाने हेतु प्रदान की जावे तथा विद्वान लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की प्रति अविलम्ब सक्षम अधिकारी को प्रेषित करें। तद्नुसार रिट याचिका व विविध प्रार्थनापत्र, यदि कोई लम्बित हो, तो निस्तारित किये जाते हैं। ,,

उक्त क्रम में बंदी के प्रकरण पर विचार करने के दौरान पाया गया कि कारागृह से बंदी खुला शिविर में बंदियों को निकालने हेतु पात्रता सूची वर्ष में दो बार (माह जून एवं दिसम्बर) में तैयार की जाती है। माह जून 2025 तक पात्र बंदियों की बैठक आयोजित की जा चुकी है, तत्समय बंदी तरूण उर्फ तेजमल पुत्र रामलाल द्वारा सजा का 1/3 भाग सजा नहीं भुगते जाने के कारण इसके प्रकरण को खुला बंदी शिविर की बैठक में सम्मिलित नहीं किया गया।

अत: माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में आयोजित समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार किया जाकर समिति द्वारा सर्वसम्मति से **दण्डित बंदी तरूण उर्फ तेजमल पुत्र रामलाल** को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकालने हेतु प्रकरण आगामी पात्रता सूची में पात्र बंदियों की पात्रता सूची के साथ रखा जाकर आगामी खुला बंदी शिविर की बैठक में विचारार्थ रखे जाने तथा वस्तुस्थिति से माननीय न्यायालय को अवगत कराये जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर।	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर।

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।

:: दिनांक 07.10.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 07.10.2025 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री रूपिन्दर सिंघ, अति. महानिदेशक पुलिस, कारागार, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री एल.आर. मीणा, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री सत्यपाल जांगिड़, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
5. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

बैठक में राज्य की कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदियों के प्राप्त 1002 प्रकरणों में से 286 प्रकरणों का मुख्यालय कारागार स्तर पर परीक्षण कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन प्रकरणों में से 17 प्रकरणो में बंदियों को 02 से अधिक प्रकरणों में दण्डित किये जाने के फलस्वरूप समिति द्वारा विचार किया जाकर गुण-अवगुण के आधार पर इन्हें कारागृह से बंदी खुला शिविर में नहीं निकाले जाने का निर्णय लिया गया, का विवरण निम्न से है:-

1. **अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-**

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	नरेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार	के.का.बीकानेर	02 से अधिक 08 प्रकरणों मे दण्डित।
2.	अनूप पाडिया पुत्र श्रवण लाल पाडिया उर्फ केदार पाडिया	उ.सु.का.अजमेर	02 से अधिक 18 प्रकरणों में दण्डित

3.	प्रकाश पुत्र मोहनजी	के.का.बीकानेर	02 से अधिक 03 प्रकरणों मे दण्डित।
4.	लाला उर्फ वारिस पुत्र छोटे खॉ	के.का.भरतपुर	02 से अधिक 03 प्रकरणों मे दण्डित।
5.	विजेन्द्र सिंह पुत्र रावतदान	के.का.उदयपुर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।
6.	अजीत सिंह पुत्र रामकिशन	के.का.कोटा	02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित।
7.	राहुल उर्फ बृजेश उर्फ विजय पुत्र बिरधीलाल	के.का.कोटा	02 से अधिक 04 प्रकरणो में दण्डित
8.	दीपक शर्मा उर्फ पटेल पुत्र ओमप्रकाश	के.का.बीकानेर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।
9.	दीपक माथूर उर्फ दीपू पुत्र अनिल कुमार	के.का.अजमेर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित
10.	जगदीश उर्फ गब्बा पुत्र प्यारेलाल जाति तंवर	के.का.कोटा	02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित।
11.	जीतेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र दाउदयाल शर्मा	के.का.भरतपुर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।
12.	सलीम पुत्र अब्दुल वहीद सांई	के.का.अजमेर	02 से अधिक 03 प्रकरणों मे दण्डित।
13.	समरजीत उर्फ सुरजीत पुत्र प्रेमपाल	के.का.अलवर	02 से अधिक 03 प्रकरणो में दण्डित।
14.	रामलखन पुत्र गूजरमल	के.का.भरतपुर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।
15.	संजय पुत्र गंगाराम	के.का.कोटा	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित।
16.	नारू उर्फ नारिया उर्फ नारायण पुत्र मांगु नाथ	के.का.उदयपुर	02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित।
17.	योगेश कुमार पुत्र भागूराम	उ.सु.का.अजमेर	02 से अधिक 04 प्रकरणों में दण्डित

अध्यक्ष	सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर।	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर।	उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।

:: दिनांक 07.10.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 07.10.2025 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री रूपिन्दर सिंघ, अति. महानिदेशक पुलिस, कारागार, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री एल.आर. मीणा, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री सत्यपाल जांगिड़, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
5. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

बैठक में राज्य की कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदियों के प्राप्त 1002 प्रकरणों में से 286 प्रकरणों का मुख्यालय कारागार स्तर पर परीक्षण कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन प्रकरणों में से 44 प्रकरणो में बंदियों को अन्य प्रतिबंधित धारा में दण्डित किये जाने के फलस्वरूप समिति द्वारा विचार किया जाकर गुण-अवगुण के आधार पर इन्हें कारागृह से बंदी खुला शिविर में नहीं निकाले जाने का निर्णय लिया गया, का विवरण निम्न से है:-

1. अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	कालूराम पुत्र लच्छा भील	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
2.	जगदीशचंद पुत्र प्यारचंद उर्फ प्यारेलाल, जाति माली	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 460, 394 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।

3.	मो0 आसिफ उर्फ दाउद पुत्र मो0 ईलियास	वि.के.का. श्यालावास	विदेशी बंदी (बांग्लादेश) एवं प्रतिबन्धित धारा 395 में आजीवन कारावास से दण्डित
4.	फारूख पठान पुत्र ईस्माईल जाति देशवाली मुसलमान	के.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
5.	बंशीलाल पुत्र भग्गा कालबेलिया	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394/120 बी आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित
6.	शांतिलाल पुत्र भमरू उर्फ भंवरलाल कालबेलिया	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394/120 बी आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित
7.	कारूलाल पुत्र रामनारायण	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबन्धित धारा 460, 394 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित
8.	कालू पुत्र सुवालाल जाति कुम्हार	के.का.अजमेर	प्रतिबन्धित धारा 394 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
9.	श्रवण कुमार पुत्र मोहनराम	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 397 आई.पी.सी.में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
10.	विवेक पाण्डे पुत्र महादेव पाण्डे	के.का.जयपुर	प्रतिबंधित धारा 397 में 10 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित
11.	रामनिवास पुत्र देवाराम	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबन्धित धारा 394 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
12.	रामस्वरूप उर्फ राधेश्याम उर्फ कैलाश उर्फ प्रहलाद पुत्र भूराराम उर्फ रामकरण	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबन्धित धारा 394 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
13.	सुरेश उर्फ सुरज मल पुत्र रकमा	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
14.	नोजीराम पुत्र खरता	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394 व 397 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित
15.	कलाम पुत्र सलीम जाति मुसलमान	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 397 आई.पी.सी.आजीवन कारावास से दण्डित।

16.	हामिद पुत्र इलाही खान	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबन्धित धारा 395 आई.पी. सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
17.	सुभाष कच्छवाहा पुत्र प्रकाश कच्छवाहा	के.का.जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 397 आई.पी. सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
18.	रोमश खां पठान पुत्र अमीन खां पठान	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी. सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
19.	श्रवण देवडा पुत्र पुखाराम उर्फ पुखराज	के.का. जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 397 आई.पी. सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
20.	भागीरथराम उर्फ बबलू पुत्र पप्पूराम	के.का.जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 397 आई.पी. सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
21.	प्रकाश पुत्र मिठिया कालबेलिया	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 395 आई.पी. सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
22.	विकास उर्फ आकाश पुत्र मिठिया कालबेलिया	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 395 आई.पी. सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
23.	रामबीर पुत्र बाबूलाल	के.का.भरतपुर	प्रतिबंधित धारा 395 आई.पी. सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
24.	अभिषेक पुत्र विष्णु जीनगर	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 397 आई.पी. सी. 10 वर्ष कठोर कारावास से
25.	रामसन उर्फ रामचन्द्र पुत्र नारू	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी. सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
26.	असलम शाह पुत्र उमरशह	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 397 आई.पी. सी. 10 वर्ष कठोर कारावास से
27.	धनसीलाल उर्फ धरमसिंह उर्फ धनसिंह पुत्र भरतलाल बैरवा	के.का.अजमेर	प्रतिबन्धित धारा 396 आई.पी. सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
28.	किशन लाल पुत्र नानुराम गुर्जर	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 397,460 आई. पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित

29.	जगदीश पुत्र गिरधारीलाल	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित
30.	देवेन्द्र पुत्र प्रेमचन्द	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 397, 460 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
31.	सुरेन्द्र कुमार पुत्र भंवरलाल	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
32.	अजरूद्दीन उर्फ कूका पुत्र भोमा जाति मेहराम	के.का.अजमेर	प्रतिबन्धित धारा 396 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
33.	मनीराम पुत्र हरलाल	उ.सु.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
34.	जनेन्द्र उर्फ जन्ना पुत्र प्रेमसिंह	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।
35.	आशीष पुत्र हीरालाल	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394, 460 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
36.	राकेश पुत्र हीरालाल	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394, 460 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
37.	मुकेश पुत्र हीरालाल	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394, 460 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
38.	पंकज कुमार उर्फ फता पुत्र लक्ष्मण	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित प्रतिबंधित धारा 397 आई.पी.सी. में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
39.	श्रवण कुमार पुत्र कुलदीप	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 395,397 आई.पी.सी. 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
40.	रवि पुत्र अजीत	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 395,397 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित

41.	दीपक उर्फ फर्जी पुत्र राजेन्द्र	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 395,397 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
42.	प्रवीण उर्फ शालु पुत्र राजेश	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 395,397 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
43.	रामस्वरूप पुत्र सरदारसिंह	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 395,397 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
44.	परवेज उर्फ नासिर पुत्र सावंत उर्फ शाह मौहम्मद	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

अध्यक्ष	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर।	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर।	उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।
:: दिनांक 07.10.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 07.10.2025 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री रूपिन्दर सिंघ, — सदस्य
   अति. महानिदेशक पुलिस,
   कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री विक्रम सिंह, — सदस्य
   महानिरीक्षक कारागार
   राजस्थान, जयपुर।
3. श्री एल.आर. मीणा, — सदस्य
   शासन उप सचिव,
   गृह (ग्रुप-12) विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।
4. श्री सत्यपाल जांगिड़, — सदस्य
   मुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।
5. श्री जगमोहन मित्रुका, — सदस्य
   उप विधि परामर्शी,
   महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

बैठक में राज्य की कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदियों के प्राप्त 1002 प्रकरणों में से 286 प्रकरणों का मुख्यालय कारागार स्तर पर परीक्षण कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन प्रकरणों में से 105 प्रकरणो में बंदियों को एन.डी.पी.एस. एक्ट में दण्डित किये जाने के फलस्वरूप समिति द्वारा विचार किया जाकर गुण-अवगुण के आधार पर इन्हें कारागृह से बंदी खुला शिविर में नहीं निकाले जाने का निर्णय लिया गया, का विवरण निम्न से है:-

1. अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	वि.वि.
1.	रवि सिंह पुत्र राकेश सिंह	वि.के.का.श्यालावास	-
2.	पवन कुमार पुत्र केवल कृष्ण	जि.का.टोंक	-
3.	रवि दुदानी पुत्र किश्न दुदानी	के.का.उदयपुर	-
4.	छोटू खान पुत्र अब्दुल हमीद	के.का.कोटा	-
5.	कालू सिंह पुत्र मदन सिंह	जि.का.टोंक	-

6.	गोपाल पुत्र नानूराम	के.का.अजमेर	–
7.	हनुमानराम पुत्र बिरमा बिश्नोई	के.का.अजमेर	–
8.	फुसाराम पुत्र भागीरथ राम बिश्नोई	के.का.जोधपुर	–
9.	निर्मल दुदानी पुत्र प्रकाश दुदानी	के.का.उदयपुर	–
10.	राजेश कुशवाह पुत्र रामशकल	के.का.अजमेर	–
11.	सूरजाराम पुत्र आईदानाराम	के.का.अजमेर	–
12.	अहमद नवाज उर्फ चिड़िया पुत्र जान मोहम्मद उर्फ जानी	के.का.बीकानेर	–
13.	चौथमल उर्फ सुनिल पुत्र नर्मदा शंकर नागदा	के.का.उदयपुर	–
14.	छगनलाल पुत्र हीरालाल	के.का.अजमेर	–
15.	सुरेश जाट पुत्र लालाराम	के.का.बीकानेर	–
16.	गोपाल पुत्र लेहरुलाल	के.का.उदयपुर	–
17.	नरेश पुत्र दरिया जाति कुम्हार	के.का.अजमेर	–
18.	अनिल चौधरी पुत्र हरवीर सिंह	के.का.जयपुर	–
19.	जगदीशचन्द्र पुत्र गोकलराम	के.का.जोधपुर	–
20.	जोगाराम पुत्र भानाराम	के.का.जोधपुर	–
21.	प्रेमाराम पुत्र पुरखराम जाति जाट	के.का.अजमेर	–
22.	राजाराम पुत्र ठाकरराम	के.का.जयपुर	–
23.	नानुराम दर्शना उर्फ बबलू पुत्र रतनलाल	वि.के.का.श्यालावास .	–
24.	सन्नी कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार	के.का.श्रीगंगानगर	–
25.	जगदीश पुत्र घीसूलाल धाकड	के.का.उदयपुर	–
26.	बलजिन्दर पुत्र सरजीत सिंह	के.का.भरतपुर	–
27.	सरबजीत कौर पत्नि जीतेन्द्र	म.ब.सु.भरतपुर	–
28.	पप्पू यादव उर्फ रामकुवांर पुत्र प्रभात	के.का.अलवर	–
29.	रमेश कुमार पुत्र बाबुलाल	के.का. जोधपुर	–
30.	विक्रम कुमार उर्फ पूर्बिया गाडरी पुत्र रामलाल	के.का.उदयपुर	–
31.	घनश्याम पुत्र रामकरण	के.का.जयपुर	–
32.	सुरेन्द्र पुत्र शमशेर सिहं	के.का.कोटा	–
33.	सम्पत राम पुत्र राणाराम	के.का. जोधपुर	–
34.	कालु पुत्र छगना	के.का.अजमेर	–
35.	भवानीसिंह उर्फ भानू पुत्र छोटूसिंह	के.का.अजमेर	–
36.	सांवरलाल पुत्र सियाराम	के.का.अजमेर	–
37.	मुकनाराम पुत्र किशनाराम	के.का. जोधपुर	–
38.	तेजसिंह पुत्र जवानसिंह	के.का.जोधपुर	–
39.	अखिल केडिया पुत्र रमेश केडिया	के.का.जयपुर	–
40.	रमेश केडिया पुत्र श्रनिवास केडिया	के.का.जयपुर	–

41.	इकबाल सिंह पुत्र मंगल सिंह	के.का.अजमेर	–
42.	पवन कुमार पुत्र कृष्णलाल	के.का. श्रीगंगानगर	–
43.	राकेश पुत्र जगदीश प्रसाद	के.का.कोटा	–
44.	लखन सिंह पुत्र बच्चू सिंह	के.का.अलवर	–
45.	पीर मोहम्मद पुत्र वजीर मोहम्मद	के.का.उदयपुर	–
46.	जावेद खान पुत्र जहीर खान	के.का.उदयपुर	–
47.	अशोक पुत्र मांगीलाल शर्मा	के.का.उदयपुर	–
48.	धनराज पुत्र सोहनलाल	के.का.कोटा	–
49.	हरदेवसिंह पुत्र साधूसिंह	के.का.अजमेर	–
50.	हरवंश सिहं पुत्र निक्का सिहं	के.का.कोटा	–
51.	महेश कुमार विश्नोई पुत्र हीराराम विश्नोई	के.का.कोटा	–
52.	राकेश पुत्र हरफूल	के.का.बीकानेर	–
53.	कमलसिंह पुत्र रामरतन	के.का.बीकानेर	–
54.	रामस्वरूप पुत्र माधोलाल	के.का.कोटा	–
55.	सरमी सिंह पुत्र सोहन सिंह	के.का.बीकानेर	–
56.	गोल्डी पुत्र लालचन्द्र मुल्तानी	के.का.अजमेर	–
57.	रामचन्द्र पुत्र हीराराम	के.का.अजमेर	–
58.	राजपाल पुत्र जवानाराम	के.का.अजमेर	–
59.	दीपासिंह पुत्र रामसिंह	के.का.अलवर	–
60.	चरणसिंह पुत्र मिल्का सिंह	के.का.अलवर	–
61.	याकूब पुत्र टुण्डल	के.का.अलवर	–
62.	रणजीत सिंह पुत्र छोटू सिंह	के.का.अजमेर	–
63.	तरूण कुमार पुत्र नरेन्द्र सिंह तोमर	के.का.भरतपुर	–
64.	संतोष चौहान पुत्र बीरेन्द्र	के.का.भरतपुर	–
65.	प्रवीण माझी उर्फ पराबिन पुत्र मोकरा	के.का.भरतपुर	–
66.	शिवम पुत्र रवीन्द्र सिंह	के.का.भरतपुर	–
67.	सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र	के.का.अजमेर	–
68.	मुकेश सैनी पुत्र चतरूराम	के.का.भरतपुर	–
69.	डालचन्द पुत्र भगवानलाल	वि.के.का.श्यालावास	–
70.	दिनेश चन्द्र पुत्र नाथूलाल	के.का.जोधपुर	–
71.	बजरंगलाल पुत्र धनाराम	के.का.जोधपुर	–
72.	नरेन्द्र सिंह पुत्र सत्यपाल सिंह	के.का.भरतपुर	–
73.	दीपक सिंह पुत्र सत्यपाल सिंह	के.का.भरतपुर	–
74.	दीपक पुत्र नाथूलाल	के.का.कोटा	–
75.	कमलेश पुत्र ईश्वरलाल	के.का.कोटा	–
76.	पप्पुलाल पुत्र कचरू	के.का.उदयपुर	–
77.	श्यामलाल पुत्र मथरालाल	के.का.अजमेर	–
78.	गोपाल पुत्र हेमा	के.का.अजमेर	–

79.	कारूदास पुत्र जगदीश	के.का.भरतपुर	–
80.	गोविन्द पुत्र चेतराम	के.का.भरतपुर	–
81.	सुरेश पुत्र हनुमानाराम	के.का.बीकानेर	–
82.	धीरज कुमार पुत्र सूरज चौधरी	के.का.जयपुर	–
83.	राहुल कुमार पुत्र अरविन्द कुमार	के.का. जयपुर	–
84.	विष्णु कुमार पुत्र धर्मपाल	के.का.कोटा	–
85.	इब्राहीम पुत्र मुन्ना खां	के.का.कोटा	–
86.	कमलेश पुत्र भैरुलाल	वि.के.का.श्यालावास	–
87.	रोहताश पुत्र वीर सिहं	के.का.कोटा	–
88.	छीतरमल उर्फ छीतरया पुत्र श्रीनारायण	के.का.भरतपुर	–
89.	उम्मेद खॉ पुत्र मुंशी खॉ	के.का.भरतपुर	–
90.	राजकुमार पुत्र मालीराम	के.का.भरतपुर	–
91.	मेहबूब हुसैन पुत्र नियाज मोहम्मद	के.का. जोधपुर	–
92.	विपिन गुप्ता पुत्र पूनम चंद	वि.के.का.श्यालावास	–
93.	उम्मेदसिंह पुत्र कल्याण सिंह	वि.के.का.श्यालावास	–
94.	राजमल पुत्र रामलाल	के.का.बीकानेर	–
95.	राजेश पुत्र रामगिरी	के.का.कोटा	–
96.	शौकीन पुत्र सुलेमान	के.का.भरतपुर	–
97.	बाबुलाल पुत्र पोखरराम	के.का. जोधपुर	–
98.	इन्दरपाल पुत्र प्रतापसिंह	के.का.अजमेर	–
99.	शिफतुल्ला उर्फ ईमरान उर्फ लाला पुत्र ईशाक अली	के.का.बीकानेर	–
100.	मांगीलाल पुत्र हजारी गुर्जर	के.का.अजमेर	–
101.	मनोहरलाल पुत्र परमेश्वरलाल	के.का.बीकानेर	–
102.	कमल रामचंदानी पुत्र बाबूलाल	के.का.जयपुर	–
103.	रोहित आसवानी पुत्र महेश आसवानी	के.का.जयपुर	–
104.	करतार उर्फ बबलू पुत्र बालू सिंह	के.का.भरतपुर	–
105.	बसंतीलाल पुत्र नानुराम	के.का.कोटा	–

अध्यक्ष	सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर।	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर।	उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।

:: दिनांक 07.10.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 07.10.2025 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री रूपिन्दर सिंघ, अति. महानिदेशक पुलिस, कारागार, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री एल.आर. मीणा, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री सत्यपाल जांगिड़, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
5. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

बैठक में राज्य की कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदियों के प्राप्त 1002 प्रकरणों में से 286 प्रकरणों का मुख्यालय कारागार स्तर पर परीक्षण कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन प्रकरणों में से 21 प्रकरणो में पैरोल/बंदी खुला शिविर से फरार/जेल दण्ड के प्रकरण जिनकी अवधि 02 वर्ष अवधि पूर्ण नही हुई है, के प्रकरणों पर समिति द्वारा विचार किया जाकर गुण-अवगुण के आधार पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया, का विवरण निम्न से है:-

1. स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	वि.वि.
1.	लालचंद पुत्र कालूराम	के.का.कोटा	दिनांक 27.10.2025 को जेल दण्ड की 02 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर
2.	पप्पू लौहार पुत्र हिरालाल लौहार	के.का.उदयपुर	दिनांक 29.10.2025 को जेल दण्ड की 02 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर

3.	आमिर उर्फ चट्टान पुत्र मोहम्मद रफीक	के.का.अजमेर	दिनांक 12.10.2025 को जेल दण्ड की 02 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर

2. अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	मुकेश कुमार उर्फ बबलू पुत्र दीनदयाल	के.का.अलवर	बंदी खुला शिविर से दिनांक 01.03.2025 से 05.03.2025 तक फरारशुदा। दिनांक 01.03.2025 को जेल दण्ड से दण्डित।
2.	गुजरा खैर पुत्र कालिया खैर	के.का.उदयपुर	दिनांक 02.01.2024 को जेल दण्ड से दण्डित किया गया।
3.	सतीश कुमार उर्फ सेडुराम पुत्र प्रभूदयाल दत्तक पुत्र श्री समर्थलाल	के.का.अलवर	बंदी खुला शिविर से दिनांक 01.03.2025 से 05.03.2025 तक फरारशुदा,दिनांक 10.03.2024 को जेल दण्ड से दण्डित।
4.	दीपक पुत्र बनवारी लाल	के.का.अलवर	बदी खुला शिविर से दिनांक 04.12.2023 से 11.07.2024 तक फरारशुदा।
5.	सोनू पुत्र मूल चन्द	के.का.भरतपुर	बं.खु.शि. से दिनांक 16.06.2023 से 25.02.2024 तक फरारशुदा। 01 अन्य प्रकरण विचाराधीन (जमानत नही)
6.	भवानी लाल पुत्र जयकिशन	के.का.अजमेर	खुला बंदी शिविर से दिनांक 28.12.2024 से 03.01.2025 फरारशुदा।
7.	दिनेश पुत्र रूपलाल डांगी	के.का.जयपुर	नियमित पैरोल से दिनांक 19.10.2024 से 21.10.2024 तक फरारशुदा,01 अन्य प्रकरण विचाराधीन (जमानत नही)
8.	विजय मुर्मु उर्फ राजू पुत्र सुकुर मुर्मु	के.का. श्रीगंगानगर	खुला शिविर से दिनांक 07.06.2022 से 25.05.2024 तक फरार शुदा।
9.	संजय धोबी उर्फ सोनू पुत्र ओमप्रकाश	के.का.भरतपुर	बं.खु.शि. से दिनांक 08.08.2024 से 09.09.2024 तक फरारशुदा। दिनांक 09.09.2024 को जेल दण्ड से दण्डित किया

10.	शंकर सिंह पुत्र बाबू सिंह	के.का.जयपुर	खुला बंदी शिविर से दिनांक 01.06.2025 से 19.06.2025 तक फरारशुदा, 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नही)
11.	कमलेश पुत्र लक्ष्मण	के.का.बीकानेर	पैरोल से दिनांक 02.07.2019 से 25.03.2024 तक फरारशुदा।
12.	प्रकाश पुत्र भैरूलाल तेली	के.का.अजमेर	01 अन्य प्रकरण विचाराधीन (जमानत नही) बं.खु.शि. से दिनांक 06.12.2024 से 13.05.2025 तक फरारशुदा।
13.	मांगीलाल पुत्र वालिया	के.का.उदयपुर	खुला बंदी शिविर से दिनांक 05.06.2024 से 28.07.2024 तक फरारशुदा। 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नही)
14.	जाकिर हुसैन पुत्र मौहम्मद हुसैन	वि.के.का. श्यालावास	दिनांक 27.01.2024 को जेल दण्ड से दण्डित
15.	अनेक सिहं उर्फ अनिल पुत्र रतन सिहं	के.का.कोटा	दिनांक 12.07.24 को जेल दण्ड से दण्डित
16.	योगेश उर्फ नितेश उर्फ योगी पुत्र रामजीलाल	के.का.अजमेर	02 अन्य प्रकरण विचाराधीन, नियमित पैरोल से दिनांक 25.01.2021 से 15.10.2023 तक फरारशुदा, दिनांक 28.01.2025 को जेल दण्ड से दण्डित।
17.	तैयबअली पुत्र जहूर अली	के.का.भरतपुर	दिनांक 26.03.2025 को जेल दण्ड से दण्डित किया
18.	अताउल्लाह खान पुत्र इनामुल्लाह खान	के.का.अजमेर	दिनांक 23.01.2024 को जेल दण्ड से दण्डित

अध्यक्ष	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर।	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर।	उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।

:: दिनांक 07.10.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 07.10.2025 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री रूपिन्दर सिंह, अति. महानिदेशक पुलिस, कारागार, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री एल.आर. मीणा, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री सत्यपाल जांगिड़, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
5. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

बैठक में राज्य की कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदियों के प्राप्त 1002 प्रकरणों में से 286 प्रकरणों का मुख्यालय कारागार स्तर पर परीक्षण कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन प्रकरणों में से 24 प्रकरणों पर समिति द्वारा विचार किया गया। जिसमें से 01 प्रकरण को पूर्व में न्यायालय निर्णय की पालना में निर्णित किये जाने के उपरांत समिति द्वारा 23 प्रकरणों का परीक्षण किया जाकर गुण-अवगुण के आधार पर इन पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	वि.वि.
1.	सुरेन्द्र उर्फ भूरा पुत्र बलजीत	वि.के.का. श्यालावास	-
2.	शिवराज पुत्र श्रवण लाल	वि.के.का. श्यालावास	-
3.	विनय सिंह पुत्र सज्जन सिंह	के.का.अलवर	-

4.	विजय कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार	के.का.बीकानेर	–
5.	आरिफ मोहम्मद कुरेशी पुत्र मोहम्मद ईशाक उर्फ कालू कबारी	के.का.जयपुर	–
6.	ओमप्रकाश पुत्र बीरबलराम	के.का.बीकानेर	–
7.	महेश उर्फ बाबू पुत्र कल्लूराम	जि.का. झालावाड़	–
8.	बाबुड़ी पत्नी धर्माराम	म.ब.सु.जोधपुर	–

2. अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	बलराम उर्फ बल्ला पुत्र हरिकेश	के.का.जयपुर	दिनांक 22.10.2024 को जेल दाखिल किया गया।
2.	सोम सिंह पुत्र सोमू पुत्र लाल उर्फ चन्द्रमोहन	के.का.कोटा	बंदी खुला शिविर, कोटा से 19.07.2023 से 28.07.2023 तक से फरारशुदा, फरारी प्रकरण की 02 वर्ष 06 माह की सजा पूर्ण नहीं होने के कारण
3.	कल्याण सिंह पुत्र श्री लखपत	के.का.जोधपुर	बंदी खला शिविर से दिनांक 23.08.2023 से 27.08.2023 तक फरारशुदा, फरारी प्रकरण की सजा की स्थिति स्पष्ट नही होने के कारण
4.	विकास उर्फ विक्की पुत्र चरण सिंह	के.का.जयपुर	02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन पेशी से दिनांक 05.12.2006 से 27.02.2022 तक फरारशुदा, फरारी प्रकरण की धारा व सजा की स्थिति स्पष्ट नही होने के कारण
5.	जयवीर पुत्र किशनलाल	के.का.जयपुर	02 अन्य प्रकरण विचाराधीन न्यायिक अभिरक्षा से दिनांक 05. 12.2006 से 27.02.2022 तक फरारशुदा, फरारी प्रकरण की धारा व सजा की स्थिति स्पष्ट नही होने के कारण

3. अग्रेषित प्रकरणों का विवरण :-

क्र. सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	कृष्ण उर्फ लादेन पुत्र हरचंद जाति गुर्जर	के.का.अलवर	02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन प्रकरणों की धारा स्पष्ट होने/ स्पष्ट टिप्पणी अधीक्षक जेल से प्राप्त होने पर
2.	भैरू उर्फ भैरू भील पुत्र धन्ना	के.का. उदयपुर	पैरोल से दिनांक 24.11.2021 से 25.11.2021 तक फरारशुदा होने से फरारी प्रकरण में धारा 58बी राज. कारागार अधिनियम में दिनांक 30.09.2022 को 06 माह का कारावास एवं जुर्माना राशि 500 रूपये अदम अदायगी 01 माह की सजा से दण्डित किया गया जुर्माना एवज राशि शेष होना बताया है। जुर्माना राशि की स्थिति स्पष्ट करने हेतु।
3.	दरबार सिंह पुत्र टकरार सिंह	के.का.जयपुर	01 प्रकरण विचाराधीन (जमानत पर) प्रतिबंधित धारा 397, 460 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा भुगत ली है। जुर्माना एवज राशि शेष होना बताया है। जुर्माना राशि की स्थिति स्पष्ट करने हेतु।
4.	हरिसिंह पुत्र मोतीलाल बावरी	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394/120बी आई. पी.सी. की मूल सजा मय परिहार भुगत ली है। जुर्माना एवज राशि शेष होना बताया है। जुर्माना राशि की स्थिति स्पष्ट करने हेतु।
5.	कालू पुत्र हुकिया	के.का.उदयपुर	पैरोल से दिनांक 15.11.2014 से 09.05.2023 तक फरारशुदा। फरारी प्रकरण में बंदी को दी गई सजा व धारा की स्थिति स्पष्ट होने पर

6.	सुरेश पुत्र प्रहलाद जाति मीणा	के.का.कोटा	पैरोल से दिनांक 02.11.2017 से 23.05.2022 तक फरारशुदा होने से फरारी प्रकरण में 01 वर्ष की सजा से दण्डित किया गया। अधीक्षक द्वारा प्रवंदना नही किये जाने की स्थिति स्पष्ट होने पर
7.	पवन कुमार पुत्र रामलाल	के.का. जोधपुर	01 अन्य विचाराधीन प्रकरण की धारा स्पष्ट होने एवं अधीक्षक द्वारा प्रवंदना नही किये जाने की स्थिति स्पष्ट होने पर
8.	नईम अख्तर उर्फ नईम राजा पुत्र मोहम्मद ऐसान	के.का.उदयपुर	01 अन्य विचाराधीन प्रकरण की धारा स्पष्ट होने एवं अधीक्षक द्वारा प्रवंदना नही किये जाने की स्थिति स्पष्ट होने पर
9.	कृष्णा हरिजन पुत्र घनश्याम बारेसा	के.का.उदयपुर	01 अन्य विचाराधीन प्रकरण की धारा स्पष्ट होने एवं अधीक्षक द्वारा प्रवंदना नही किये जाने की स्थिति स्पष्ट होने पर
10	संजय कुमार उर्फ विक्की पुत्र भगवानसहाय	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबन्धित धारा की जुर्माना राशि जमा कराये जाने की स्थिति स्पष्ट होने पर

अध्यक्ष	सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर।	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर।	उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।

:: दिनांक 07.10.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 07.10.2025 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री रूपिन्दर सिंघ, — सदस्य
   अति. महानिदेशक पुलिस,
   कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री विक्रम सिंह, — सदस्य
   महानिरीक्षक कारागार
   राजस्थान, जयपुर।
3. श्री एल.आर. मीणा, — सदस्य
   शासन उप सचिव,
   गृह (ग्रुप-12) विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।
4. श्री सत्यपाल जांगिड़, — सदस्य
   मुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।
5. श्री जगमोहन मित्रुका, — सदस्य
   उप विधि परामर्शी,
   महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

बैठक में राज्य की कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदियों के प्राप्त 1002 प्रकरणों में से 286 प्रकरणों का मुख्यालय कारागार स्तर पर परीक्षण कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन प्रकरणों में से 75 प्रकरणों पर समिति द्वारा विचार किया जाकर गुण-अवगुण के आधार पर इन पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	वि.वि.
1.	अनिल पुत्र कामता	के.का.जयपुर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
2.	सीताराम पुत्र मूलचन्द	के.का.जयपुर	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर

3.	राकेश उर्फ रिंकू पुत्र रंगलाल	के.का.कोटा	–
4.	शफीक उर्फ नाडा पुत्र रफीक उर्फ सोनी	के.का.अजमेर	–
5.	ओमप्रकाश मीणा पुत्र रामनाथ	के.का.कोटा	–
6.	पीयुष पुत्र प्रभास	के.का.उदयपुर	–
7.	पंकज जैन पुत्र दीपचंद	के.का. श्रीगंगानगर	–
8.	कमला पत्नी उदयलाल	म.ब.सु.अजमेर	–
9.	कुलवेन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र बुगल सिंह	के.का.भरतपुर	–
10.	सकिया पुत्र साजू पारगी	के.का.उदयपुर	–
11.	लुणाराम पुत्र बीरबलराम	के.का.बीकानेर	–
12.	नानुराम पुत्र बीरबलराम	के.का.बीकानेर	–
13.	रामप्रताप पुत्र पृथ्वीराज	के.का.बीकानेर	–
14.	फूलसिंह यादव पुत्र पुन्ना यादव	के.का.कोटा	–
15.	मान सिंह पुत्र हरी सिंह	के.का.भरतपुर	–
16.	रूपा पुत्र कचरू निनामा	के.का.उदयपुर	–
17.	हंसराज पुत्र गेहरीलाल	के.का. उदयपुर	–
18.	मुकेश कुमार पुत्र मोहनलाल गर्ग	के.का.उदयपुर	–
19.	घनश्याम पुत्र मोहनलाल	के.का.जोधपुर	–
20.	रमण पुत्र भूरा	के.का.उदयपुर	–
21.	खेमराज पुत्र लिम्बाजी	के.का.उदयपुर	–
22.	कानीया उर्फ कानाराम पुत्र नानीया उर्फ नानाराम	के.का.उदयपुर	–
23.	संग्राम सिहं पुत्र दोला उर्फ दौलत सिहं	के.का.कोटा	–
24.	मंजीत पुत्र रामफल	के.का.बीकानेर	–
25.	पारससिंह पुत्र पुनमसिह	के.का.जोधपुर	–
26.	अरबाज पुत्र अनवर खान	के.का.उदयपुर	–
27.	सुरेश पुत्र केसाराम	के.का. जोधपुर	–
28.	देवीलाल पुत्र नेतिया	के.का.उदयपुर	–
29.	साहब सिंह पुत्र मान सिंह	के.का.भरतपुर	–

30.	दिवेश कश्यप उर्फ देवेश पुत्र सुनिल कहार	के.का.अजमेर	–
31.	प्रवीण उर्फ प्रिंस पुत्र जसपाल सिंह	के.का.उदयपुर	–
32.	कन्हीराम पुत्र देवीलाल तंवर	के.का.कोटा	परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
33.	नक्षत्रमल उर्फ नख्तर पुत्र नन्दा मोग्या	के.का.उदयपुर	–
34.	कालुलाल मोग्या पुत्र उदा मोग्या	के.का.उदयपुर	–
35.	जितेन्द्र राव पुत्र हंसराज	के.का.कोटा	–
36.	गोपाराम उर्फ गोपिया पुत्र बसाराम	के.का. जोधपुर	–
37.	अब्दुल लतीफ पुत्र नसरूदीन उर्फ निसार खां	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	–
38.	दुलाराम पुत्र ईमरताराम	के.का.बीकानेर	–
39.	नासिर खान पुत्र साजिद खान	के.का.उदयपुर	–
40.	पुरूषोत्तम पुत्र रामप्रताप	जि.का.टोंक	–
41.	हरभजन सिंह उर्फ गब्बर पुत्र सरजीत सिंह	के.का.बीकानेर	–
42.	निलेश पुत्र लक्ष्मण ननोमा	के.का.उदयपुर	–
43.	मोहित उर्फ मौनू पुत्र हरकेश	के.का.भरतपुर	–
44.	अमरचन्द पुत्र रामूलाल	वि.के.का. श्यालावास	–
45.	योगेन्द्र सिंह पुत्र विजय प्रसाद कुर्मी	के.का.अजमेर	–
46.	मुकेश पुत्र हीरालाल भाबोर	के.का.उदयपुर	–
47.	धर्मवीर पुत्र विश्राम	वि.के.का. श्यालावास	–
48.	देवीसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह	के.का.बीकानेर	–
49.	डिम्पी उर्फ सैन्की पुत्र मोहनलाल	के.का.बीकानेर	–
50.	आशाराम पुत्र धुलाराम	के.का. जोधपुर	–

51.	पिन्टु पुत्र भंवरलाल कटारा	के.का.उदयपुर	–
52.	बलराम पुत्र बंशीलाल	वि.के.का. श्यालावास	–
53.	महेश उर्फ गोलू पुत्र रोशनलाल	के.का.अलवर	–
54.	मूलचन्द पुत्र शंकरलाल	के.का.बीकानेर	–
55.	प्रवीणदास पुत्र गणेशदास	के.का. जोधपुर	–
56.	कुवंर सिंह पुत्र कमल सिंह	के.का.भरतपुर	–
57.	जुबीन अहमद कुरैशी पुत्र फरीद	के.का.जयपुर	–
58.	नवीन खॉ उर्फ नबी पुत्र निजाम खॉ	के.का.भरतपुर	–
59.	प्रियंका पत्नी पूरणमल	म.ब.सु.भरतपुर	–
60.	माया पत्नि आमिर उर्फ अमीर	म.ब.सु.भरतपुर	–

2. अग्रेषित प्रकरणों का विवरण :-

क्र. सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	धर्मेन्द्र सिंह उर्फ राजु उर्फ वीरू उर्फ जोनी पुत्र तरसेम सिंह	के.का.बीकानेर	पैरोल से दिनांक 28.09.2010 से 10.02.2015 तक फरारशुदा। फरारी प्रकरण में सजा का क्या निर्णय हुआ है, की स्थिति स्पष्ट करने पर
2.	सुनील पुत्र ईश्वर	के.का.बीकानेर	आपात पैरोल से दिनांक 02.12. 2006 से 06.03.2007 तक फरारशुदा। बंदी खुला शिविर से 01.11.2017 से 08.08.2020 तक फरारशुदा, दोनो फरारी प्रकरणों में सजा का क्या निर्णय हुआ है, की स्थिति स्पष्ट होने पर
3.	गिरधारी पुत्र पेफाराम	के.का.जयपुर	खुला बंदी शिविर से दिनांक 12.03.2023 से 13.07.2023 तक फरारशुदा। फरारी प्रकरण में सजा का क्या निर्णय हुआ है, की स्थिति स्पष्ट होने पर

4.	रमेश पुत्र किशनलाल सिंधी	के.का.भरतपुर	दिनांक 22.05.1996 से 30.08.2017 तक अंतरिम जमानत से फरारशुदा। फरारी प्रकरण में सजा का क्या निर्णय हुआ है, की स्थिति स्पष्ट करने पर
5.	सोहनलाल उर्फ वक्ता पुत्र वज्जा मईडा	के.का.उदयपुर	दिनांक 18.10.2016 से 27.10.2016 तक पैरोल से फरारशुदा, फरारी प्रकरण में सजा का क्या निर्णय हुआ है, की स्थिति स्पष्ट करने पर
6.	पप्पूराम पुत्र श्री देवाराम	के.का.जोधपुर	पैरोल से दिनांक 02.03.2007 से 10.05.2021 तक फरारशुदा। फरारी प्रकरण में सजा का क्या निर्णय हुआ है, की स्थिति स्पष्ट करने पर
7.	भाणुनाथ पुत्र सावतनाथ उर्फ श्योपतनाथ	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. के जुर्माने की राशि जमा कराये जाने की स्थिति स्पष्ट होने पर
8.	डालचंद उर्फ बब्लू पुत्र रामसिंह	के.का.कोटा	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन की धारा स्पष्ट होने पर
9.	प्रभुराम पुत्र श्री ओबाजी	के.का.जोधपुर	पैरोल से दिनांक 16.07.2019 से 15.12.2019 तक फरारशुदा, फरारी प्रकरण में सजा का क्या निर्णय हुआ है, की स्थिति स्पष्ट होने पर
10.	सिकन्दर पुत्र लेडाराम	के.का. श्रीगंगानगर	खुला शिविर से दिनांक 13.04.2007 से 26.08.2023 तक फरारशुदा, फरारी प्रकरण में सजा का क्या निर्णय हुआ है, की स्थिति स्पष्ट करने पर
11.	बनवारी पुत्र गणेश	के.का.बीकानेर	पैरोल से दिनांक 02.11.2014 से 18.11.2020 तक फरारशुदा, फरारी प्रकरण में सजा का क्या निर्णय हुआ है, की स्थिति स्पष्ट होने पर
12.	विजय पुत्र रामपाल	के.का.जयपुर	खुला बंदी शिविर से दिनांक 22.06.2018 से 30.07.2023 तक फरारशुदा, फरारी प्रकरण में सजा का क्या निर्णय हुआ है, की स्थिति स्पष्ट करने पर

13.	डालूराम पुत्र श्री ताराराम	के.का. जोधपुर	पैरोल से दिनांक 02.03.2021 से 25.06.2021 तक फरारशुदा, फरारी प्रकरण में सजा का क्या निर्णय हुआ है, की स्थिति स्पष्ट होने पर
14.	रमेश पुत्र हीरालाल	के.का.बीकानेर	बं.खु.शि. से दिनांक 01.05.2023 से 19.05.2023 तक फरारशुदा, फरारी प्रकरण में सजा का क्या निर्णय हुआ है, की स्थिति स्पष्ट होने पर
15.	अमनदीप उर्फ गोलू उर्फ धोलू पुत्र राजेन्द्र उर्फ राजू	के.का.बीकानेर	01 अन्य प्रकरण विचाराधीन धारा 323,325,506,34 आई.पी.सी.

अध्यक्ष महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	सदस्य अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर।	सदस्य महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	सदस्य शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	सदस्य मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर।	सदस्य उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।